न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या:–180 / 2018 दायर दिनांक 25.10.2018

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. पदमसिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति राजपूत निवासी खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रेलवे विभाग जरिये इन्चार्ज स्टेशन मास्टर मारवाड़ बालिया 2. तहसीलदार डीडवाना 3. बल्लू कंवर पत्नी पदमसिंह जाति राजपूत निवासी खरेश तहसील डीडवाना 4. मुमताज खां पुत्र नजीर खां जाति कायमखानी निवासी बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

प्रार्थना–पत्र, बाबत सीमाज्ञान करा पत्थरगडी करवाने
अन्तर्गत धारा– 111 L.R.Act.

उपस्थित:–

1. श्री इस्लामुदीन, वकील, प्रार्थी।
2. श्री शरीफ शैरानी अप्रार्थी सं0 03 व 04

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 28.12.2018

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का संयुक्त खातेदारी सुदा मौजा बालिया में खसरा संख्या 425 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा अवस्थित है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 03 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्जसुदा अवस्थित हैं उक्त खेत की खतौनी व ट्रेस नक्शा संलग्न पेश है।

खसरा संख्या 425 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा अपस्थित है जिसके पडौस में प्रतिवादी संख्या 01 की भूमि है जिस कारण प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी के खेत के कुछ हिस्से पर नाजायज कब्जा अतिक्रमण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

कर वादी को उसकी खातेदारी में दर्ज हिस्से से कम हिस्सा भूमि दे रखी है। इसलिए वादी का सीझान कराकर राजस्व रिकार्ड अनुसार अपने हिस्से की सीमा तय कराकर पत्थरगढी कराने बाबत वाद पत्र लाना लाजमी आया है।

दिनांक 26.06.2006 को मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा बनायी गई जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि खसरा नम्बर 425 की चारों सीमाओं की जानकारी मौके पर करवायी गई। मौके पर खसरा नम्बर 425 में सीमा ए से बी पर ए से 60 फुट, 250 फुट, 440 फुट, पर रेल्वे के तीन पोल गाडे हुए है जो कि नक्शा के माप के अनुसार सही नहीं है। इस प्रकार वादी की खातेदारी सुदा खेत में मौके पर राजस्व रिकार्ड के नाप से रेलवे के उक्त तीनों पोल को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा हटवाया जाना लाजमी है ताकि वादी की भूमि कम नहीं हो। प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त पोल वादी की भूमि में लगा कर अतिक्रमण किया है जिसे हटवाया जाना आवश्यक है। इसलिये राजस्व रिकार्ड के अनुसार नाप व सीमा तय कर वादी को पत्थरगढी व तारबंदी करवाकर भूमि सुपुर्द करवाया जाना लाजमी है ताकि वादी की कानूनी खातेदारी हक अधिकारों को सरक्षंण व कानूनी सुरक्षा मिल सके तथा उक्त दौरान पडौसी खातेदारों, प्रतिवादीगण के इंकार करने पर पुलिस इमदाद के जरिये उक्त कानूनी कार्यवाही के जरिये वादी को राजस्व रेकार्ड में अंकित सीमा के अनुसार पत्थरगढी कराकर खातेदारी भूमि को सुपुर्द किया जाना न्यायसंगत है।

प्रार्थना प्रार्थी है कि प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री सादर फरमावें कि वादी के खातेदारी सुदा खेत खसरा नं0 425 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा की प्रतिवादी संख्या 02 राजस्व रेकर्ड अनुसार सीमाज्ञान करके सीमा तय कराकर पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद कराकर भूमि वादी को सुपुर्द करावें तथा प्रतिवादी संख्या

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

विविध प्रार्थना–पत्र 180 / 2018
दायर दिनाँक 25.10.2018, निर्णय दिनाँक 28.12.2018
पदमसिंह बनाम रेलवे विभाग वगैरा।

01 पडौसी द्वारा वादी की खातेदारी सुदा भूमि पर किये गये अतिक्रमण गाडे गये खम्भे आदि का हटवाकर वादी की खातेदारी भूमि के सम्पूर्ण रकबे की भूमि 06 बीघा 01 बिस्वा को वादी व प्रतिवादी संख्या 03, 04 को सुपुर्द करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सं0 01 के नोटिस पर सवार की रिपोर्ट आई कि रेलवे विभाग जरिये ईन्चार्ज स्टेशन मास्टर मारवाड बालिया व डीडवाना में नहीं बैठता है। जमीन संबंधी मामले में मोबाईल नम्बर 9001198272 जोधपुर में सम्पर्क करें। उक्त मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर नोटिस की प्रति रेलवे विभाग कर मुख्य कार्यलय डी आर एम जोधपुर को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से भेजी गई। अप्रार्थी सं0 01 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय मे अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी सं0 02 का जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 02 के जवाब अनुसार श्रीमान के आदेशानुसार पत्थरगढी करवा दी जावेगी। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 का इकबालिया जवाब पेश हुआ। इकबालिया जवाब अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी के आदेश किये जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में, वर्ष 2006 की मौका रिपोर्ट, जमाबन्दी ग्राम बालिया सम्वत् 2070–2073, ट्रेस नक्शा पेश है।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाने हेतु निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

विविध प्रार्थना-पत्र 180/2018
दायर दिनांक 26.10.2018, निर्णय दिनांक 28.12.2018
पदमसिंह बनाम रतने सिंह वगैरा।

प्रकरण में किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति पेश नहीं हुई है। प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत की सीमा पर पत्थर गढी करवाना चाहता है। प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन, प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

आदेश 111 भू-राजस्व अधिनियम के तहत हस्तगत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर, तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है कि, प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवाने पर, शरहद बालिया में खेत खसरा नम्बर 425 रकबा 06 बीघा 01 बिस्वा में पत्थर गढी करवाने की कार्यवाही करे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **28.12.2018** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner